ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 180-181
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

भारतीय कृषि क्षेत्र में समस्याएं एवं उनका समाधान पर एक समीक्षात्मक अध्ययन

1. डॉ0 सुनील कुमार पाल
2. डॉ0 गंगाधर

1. एसोसिएट प्रोफेसर– अर्थशास्त्र विभाग, एल.आर.पी.जी. कॉलेज, चंपानेर–इटावा, 2. असिस्टेंट प्रोफेसर– अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बाराणसी (उ0प्र0), भारत

Received-12.09.2023, Revised-19.09.2023, Accepted-24.09.2023 E-mail: gangadharmohan1@gmail.com

सारांशः *भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, लेकिन वर्तमान समय में भारत की कृषि का विकास एक उच्च स्तर पर होना चाहिए था। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत अब विकासशील राष्ट्र नहीं रहने वाला है। एवं भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर विश्व के सामने खड़ा है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश क्षेत्र भारत के साथ व्यापार करने को तैयार हैं एवं उन देशों में जैसे– अमेरिका जैसे 50 से अधिक देशों के साथ एफ.टी.ए. एवं आर्थिक सहयोग के लिए तैयार हैं एवं कई देश ऐसे भी है जो भारतीय मुद्रा के साथ व्यापार करने को तैयार हैं एवं इसके विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहीं जाने वाली कृषि वर्तमान समय में भी बहुत ही पिछड़ी हुई है एवं इसकी कई समस्याएं गंभीर हैं सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय कृषक एक निर्धन समाज से आते हैं उनका सारा जीवन निर्धनता में ही गुजर जाता है एवं उनका परिवार भी उसी दशा में रहता है। कृषक की इस दशा का अवलोकन करें, तो इसकी दशा का वह स्वयं जिम्मेदार होता है, क्योंकि अगर वह उन्नतशील बीज, खाद, एवं कीटनाशक, सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं करेगा तो उसका उत्पादन निम्न स्तर का या कम मात्रा में होगा जिससे उसकी आय कम होगी एवं उसकी दशा दिन प्रतिदिन निम्न होती जाएगी एवं इसके साथ–साथ अन्य कारण भी है, जो कृषक की इस दशा के लिए जिम्मेदार है। इसमें सरकार की भी भूमिका है कि कृषक द्वारा फसल का उत्पादन करने में किसान को कई व्यक्तियों एवं संस्थाओं से कृषि के लिए ऋण लिया जाता है ,जिनमें कृषि को ऋण देने वाली बैंक एवं साहूकार होते हैं। जिस वर्ष फसल अच्छी होती है उस वर्ष फसल का मूल्य कम मिलता है। जिस कारण से कृषक उत्पादन लागत भी नहीं लगा पाता है और कृषक आत्महत्या जैसे भी कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं परंतु वर्तमान सरकार द्वारा भारतीय कृषकों की आय को दोगुना करने का प्रयास किया है एवं सरकार द्वारा कृषि कार्य के लिये कृषकों को वर्ष में तीन बार दो–दो हजार रु० की आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है जो एक सराहनीय कदम है।*

कुंजीभूत शब्द– भारतीय अर्थव्यवस्था, विकासशील राष्ट्र, रीढ़, भारतीय मुद्रा, प्रत्यक्ष लाभ भुगतान, कृषक आत्म हत्या, साहूकार।

अध्ययन का उद्देश्य– शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य कृषकों की आय किस प्रकार से दोगुनी हो एवं इसमें सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आय में वृद्धि करने का कार्य किया गया है और सरकार द्वारा किसानों की फसलों का उचित मूल्य प्राप्त कराने के लिए किए गए प्रयासों का अध्ययन किया गया है।

शोध परिकल्पना–

(1) भारतीय कृषि की दशा एवं दिशा का अध्ययन एवं कृषक समाज की आर्थिक समस्याओं पर अध्ययन।

(2) उत्पादित फसल का उचित मूल्य न मिल पाना एवं कृषकों के द्वारा अपने अधिकांश पूंजी कृषि उत्पादन पर लगाने से उसके परिवार पर आने वाले संभावित संकट का अवलोकन करना।

शोध विधि– प्रस्तुत शोधपत्र में भारतीय कृषि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का एवं कृषक की आर्थिक दशा में आने वाले उतार–चढ़ाव पर अध्ययन करना एवं कृषि उपज का लागतानुसार मूल्य प्राप्त करना एवं कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना एवं कृषकों की एक निश्चित आय निर्धारित करना जिससे कृषकों के परिवार आभावो में जीवन यापन ना कर सके। इन सभी समस्याओं को दूर करने के उपायों पर अध्ययन किया गया है। सरकार द्वारा कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया गया है जो निम्न प्रकार से है।

(1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना– प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक दशा में सुधार करने से है इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2019 में किया गया था इस योजना के अंतर्गत निर्धन किसानों को उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने अपने स्तर से कुछ आर्थिक मदद प्रदान की गई है जिसके तहत कम भूमि वाले किसानों को वर्ष में तीन बार उनके बैंक खातों में कुल 6000 रु० डीबीटी के माध्यम से किसानों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। एवं किसान अपनी आवश्यकता की कृषि से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकता है। जिनमें वह उन्नत किस्म के बीज एवं किसी साहूकार से उधार लिया गया पैसा भी वापस कर सकता है। इस योजना से सरकार ने एक तरफ किसानों की आर्थिक दशा में कुछ स्तर तक सुधार करने में अपना योगदान दिया है। इस योजना के लिए सरकार ने 75000 करोड रु० की राशि का आवंटन किया गया है। वर्तमान समय तक लगभग 8.45 करोड़ परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके हैं, लेकिन इस योजना के तहत कवर किए गए जाने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या 14 करोड़ तक पहुंच गई है।

(2) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को इस योजना को प्रारंभ किया गया है इस योजना के तहत कृषकों को अपनी फसल का बीमा कराना होता है और अगर फसल किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट होती है, तो बीमा कंपनी उस कृषक की बीमा के प्रीमियम के अनुसार बीमा की राशि को अदा करती है। इस योजना के तहत फसलों को अलग–अलग धनराशि निर्धारित की गई है। जैसे कपास की फसल के लिए अधिकतम प्रति एकड़ 36282 रु० धान के लिए 37484 रु० प्रति एकड़ एवं मूंग फसल के लिए 16497रु० प्रति एकड़ निर्धारित किए गए हैं। योजना प्रारंभ

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

होने से पहले किसानों की दशा अच्छी नहीं थी भारत में मानसून की दशा अच्छी नहीं है जब फसल तैयार हो जाती है, तभी मौसम खराब होने से कृषकों को हॅानि उठानी पड़ती थी, एवं किसान द्वारा फसल उत्पादन में लगाई गई लागत भी नहीं निकल पाती थी और किसान मजबूरी में आत्महत्या कर लेता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना से कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। किसान योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो कृषक 31 जुलाई तक अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल www.pmfby.gov.in के पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का बीमा कर सकता है और प्रतिकूल मौसम होने पर भी कृषक की समस्याओं को कम कर सकते हैंद्य इस योजना ने एक तरफ किसानों को होने वाले बड़ें जोखिमों को कम कर दिया है और दूसरी तरफ कृषक सरकार की तरफ निगाहें नहीं लगायेगा।

(3) कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना– भारत में कृषकों की दशा में परिवर्तन लाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की है भारत में सबसे पहले समर्थन मूल्य 1966–67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। उस समय देश में हरित क्रांति की देश में शुरुआत हो गई थी। इस कारण से उत्पादन अधिक प्रारंभ हो गया थाद्य इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले गेहूं पर उसकी उत्पादन लागत के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है जिसे एम.एस.पी. कहा जाता हैद्य वर्तमान समय में सरकार द्वारा विभिन्न फसलों पर एम.एसपी. देती है जिससे इसका प्रभाव सरकार की आर्थिक दशा पर पड़ता हैद्य विभिन्न आर्थिक संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, परंतु भारत सरकार ने इसकी परवाह किए बिना इस योजना को जारी रखा गया है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा 23 फसलों के एमएसपी की घोषणा की गई है। खरीद की लागत लगभग 17 लाख करोड रुपए है जो केंद्रीय बजट में भारत के वार्षिक आय का 50% है। एमएसपी की तरह सरकार यह घोषणा करती है। कि कृषकों को अपने उत्पाद की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं बेचना है।

(4) मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना– यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य के कृषकों के लिए संचालित की जा रही है। यह योजना 14 सितंबर, 2019 को प्रारंभ की गई है। इस योजना का लाभ कम भूमि के कृषकों के लिए है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में न्यूनतम अवधि 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए योजना के अंतर्गत खेती के दौरान किसान किसी दुर्घटना का शिकार होता है या किसी जानवर द्वारा काटने पर उसकी मृत्यु होने पर किसान के परिवार जनों को ₹500000 की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

इस योजना से गरीब कृषकों की मृत्यु के पश्चात परिवार पर आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत परिवारों को भरण–पोषण हेतु धन की आवश्यकता को पूरा करता है। सरकार द्वारा जनकल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के संचालन में आने वाली समस्याएं निम्न प्रकार से हैं–

(1) सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ योग्य व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है इसका कारण यह है कि जनसंख्या का अधिक होना वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या विश्व के प्रथम स्थान पर स्थापित हो गई है। योजना एक सीमित संख्या के लिए होती है परंतु लाभ प्राप्त चाहने वालो की संख्या अधिक होती है।

(2) सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में भ्रष्टाचार भी एक अहम भूमिका अदा करता है कोई भी कर्मचारी बिना पैसे लिए कोई कार्य नहीं करता है।

(3) योजना का प्रचार–प्रसार जन–जन तक पहुंचना चाहिए एवं जो व्यक्ति अशिक्षित है उनको भी योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

योजनाओं के सफल संचालन हेतु सुझाव निम्नवत्त हैं–

(1) सरकार को जनसंख्या को स्थिर करने की आवश्यकता है। इसके लिए योजनाओं का लाभ उन परिवार को दिया जाए जो परिवार नियोजन में अपनी भूमिका अदा करते हैं। उन्हें ही पहले योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।

(2) सरकार को भ्रष्टाचार खत्म करने की आवश्यकता है। इसमें सरकार एक नीति बनाए एवं भौतिक रूप से सत्यापन के बाद ही उस व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।

(3) योजना के सफल संचालन हेतु प्रचार प्रसार में बड़े पैमाने पर इसको शुरू करना होगा जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति को योजना की जानकारी होनी चाहिए।

निष्कर्ष– भारत सरकार द्वारा कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया इसके माध्यम से किसानों की आय दो गुनी करने का प्रयास किया और सरकार उसमें सफल हुई है भारत का अन्न दाता अब आत्महत्या नहीं करता बल्कि समाज को जीने का तरीका सुझाता है। कृषक कितनी भी परेशानी में ही क्यों न हो पर अब अपनी खेती को नहीं छोड़ता है और वह इस प्रकार की आशा रखता है। कि अगले वर्ष उत्पादन अच्छा होगा एवं वह खुशहाल होगा और इस प्रकार की आशा जीवनभर बनी रहती है। इस कारण से भारत के कृषक संकट के समय परेशान नहीं होते हैं। और समस्या का मुकाबला करते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं। सरकार द्वारा कृषक का उत्पादन खेत पर ही क्रय कर लिया जाता है। और उसकी परिवाहन लागत भी नहीं होती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. वर्ष 2023 से योजनाओं का अध्ययन।
2. दैनिक जागरण समाचार पत्र, कानपुर प्रकाशन, अक्टूबर 2023.
3. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भारत सरकार।

*****